कार्यालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, पलामू मेदिनीनगर।
(खनन शाखा)

पलामू जिला के बालूघाटों की नीलामी के पश्चात बच रहे बालूघाटों की नीलामी की सूचना।

---

1. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) तथा (2) के अर्न्तगत पलामू जिला के गैर वन भूमि पर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित बालूघाटों की बन्दोबस्ती संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में अवस्थित बालूघाटों की बन्दोबस्ती नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पंचायत द्वारा उपायुक्त, पलामू /प्राधिकृत पदाधिकारी के निदेश एवं देख रेख में संबंधित ग्राम पंचायत/ नगर निगम /नगर पर्षद/नगर पंचायत के प्रतिनिधि के उपस्थिति में उच्चतम डाक वक्ता के पक्ष में संविद निष्पादन की तिथि से तीन वित्तिय वर्षो के लिए बालूघाटों की बन्दोबस्ती सरकारी निलामी द्वारा दिनांक **16.02.2016** एवं **18.02.2016** को **11:00** बजे दिन में उपायुक्त, पलामू के कार्यालय कक्ष (वेश्म) में होगी।

2. बालूघाट के निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/कम्पनी/संस्था को सूचित किया जाता है कि दिनांक **13.02.2016** तक **5:00** बजे अपराह्न तक जिला खनन कार्यालय, पलामू (कार्य दिवस) में अपना आवेदन प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि के बैंक ड्राफ्ट एवं वांछित कागजातों के साथ आवेदन दाखिल कर सकते है।

3. पलामू जिला के यथा संभव एक पंचायत के सभी बालूघाटों को एक ईकाई के रूप में मान कर नीलामी की प्रकिया अपनायी जायेगी तथा एक शहरी निकाय के अर्न्तगत पड़ने वाले सभी बालूघाटों को एक ईकाई के रूप में मान कर नीलामी की प्रकिया अपनायी जायेगी।

4. निलामी के पश्चात जिस उच्चतम डाक वक्ता को बालूघाट की बन्दोबस्ती हेतु चयनित किया जाएगा उसे उपायुक्त, पलामू के अनुमोदनोपरान्त जिला/सहायक खनन पदाधिकारी के स्तर से Letter of Intent निर्गत किया जाएगा। जिस व्यक्ति/संस्था को जिस बालूघाट के लिए Letter of Intent प्राप्त होगा वही व्यक्ति/संस्था उस बालूघाट के संबंध में Mining Plan तैयार करने व उसका अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होगें। उसी व्यक्ति/संस्था के द्वारा बालूघाट के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन समर्पित किया जाएगा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निलामधारी के साथ एकरारनामा का निष्पादन किया जा सकेगा। एकरारनामा के निष्पादन के पश्चात ही निलामधारी द्वारा बालूघाट से उत्खनन किया जा सकेगा।

5. निलामधारी द्वारा बालू खनिज का निर्धारित मूल्य 435.00 (चार सौ पैंतीस) रुपया प्रति 100 (एक सौ) घनफीट की दर से बिक्री की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में निलामधारी द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बालू की बिक्री नहीं की जाएगी।

6. उपायुक्त, पलामू के द्वारा बालूघाटों की बन्दोबस्ती हेतु उच्चतम डाकवक्ता के साथ एकरारनामा किया जाएगा।

7. जिला/सहायक खनन पदाधिकारी बालूघाट से संबंधित अभिलेखों का संधारण/प्रस्तुतीकरण/नियंत्रण एवं राजस्व वसुली हेतु सक्षम होंगें।

8. बालूघाटों के निलामी से प्राप्त आय का 80 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र/जिला परिषद/नगर पंचायत/ नगर निगम को एवं शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार को प्राप्त होगा। जिसके लिए नियमानुसार 80 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत राशि का भुगतान अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना आवश्यक होगा।

9. बिना कोई पूर्व सूचना अथवा कारण बताए बालूघाटों की बन्दोबस्ती/नीलामी रद्द करने या आवश्यक निर्णय लेने हेतु उपायुक्त, पलामू को सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पंचायत अर्न्तगत गैर वन भूमि में अवस्थित बालूघाटों की विवरणी।

क्र० सं०	अंचल	ग्राम पंचायत / नगर निगम / नगर पर्षद / नगर पंचायत	नदी	क्षेत्र का विवरण	अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित बालू खनिज का निक्षेप की मात्रा **(घन मीटर में)**	तीन वर्षो (2015 – 16 से 2017 – 18) के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि **(रु० में)**	तीन वर्षो के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत **(रु० में)**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**सदर, मेदिनीनगर**	कौड़िया ग्राम पंचायत	कोयल	मौजा कौड़िया थाना सदर, मेदिनी नगर थाना सं० 185 खाता सं० 190 प्लॉट सं० 3268 रकबा 4.00 एकड़	16184	1864907.00	186491.00
2		नगर पर्षद, मेदिनीनगर	कोयल	मौजा कुण्ड थाना मेदिनी नगर थाना सं० 190 खाता सं० – प्लॉट सं० 969 रकबा 8.00 एकड़	32368	3729813.00	372981.00
3		जोड़ ग्राम पंचायत	अमानत	मौजा जोड़ थाना सदर, मेदिनी नगर थाना सं० 199 खाता सं० 258 प्लॉट सं० 2695 रकबा 10.00 एकड़	40460	4662266.00	466227.00
			कोयल	मौजा निमिया थाना सदर, मेदिनी नगर थाना सं० 192 खाता सं० 44 प्लॉट सं० 01 रकबा 4.00 एकड़	16184	1864907.00	186491.00
				कुल	**56644**	**6527173.00**	**652718.00**
4	**चैनपुर**	कंकारी ग्राम पंचायत	कोयल	मौजा कंकारी थाना चैनपुर थाना सं० 121 खाता सं० 186 प्लॉट सं० 1992 रकबा 3.00 एकड़	12138	1398680.00	139868.00
5		तलेया बम्पण्डी ग्राम पंचायत	कोयल	मौजा अयोध्या कोल्हुआ थाना चैनपुर थाना सं० 27 खाता सं० 77 प्लॉट सं० 504 रकबा 10.00 एकड़	40460	4662266.00	466227.00
				मौजा चेड़ाबार थाना चैनपुर थाना सं० 26 खाता सं० 137 प्लॉट सं० 700/ 789 रकबा 10.00 एकड़	40460	4662266.00	466227.00
				कुल	**80920**	**9324532.00**	**932454.00**

क्र० सं०	अंचल	ग्राम पंचायत / नगर निगम / नगर पर्षद / नगर पंचायत	नदी	क्षेत्र का विवरण	अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित बालू खनिज का निक्षेप की मात्रा **(घन मीटर में)**	तीन वर्षो (2015 – 16 से 2017 – 18) के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि **(रु० में)**	तीन वर्षो के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत **(रु० में)**
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**चैनपुर**	पूर्वडीहा ग्राम पंचायत	कोयल	मौजा लिधकी थाना चैनपुर थाना सं० 9 खाता सं० 69 प्लॉट सं० 496 रकबा 2.00 एकड़	8092	932453.00	93245.00
7	**लेस्लीगंज**	जामुनडीह ग्राम पंचायत	अमानत	मौजा झरहा थाना लेस्लीगंज थाना सं० 404 खाता सं० 01 प्लॉट सं० 01 रकबा 3.45 एकड़	31333	3610549.00	361055.00
8		जुरु ग्राम पंचायत	अमानत	मौजा जोलंगा थाना लेस्लीगंज थाना सं० 341 खाता सं० – प्लॉट सं० 397 रकबा 1.50 एकड़	9275.22	1068798.00	106880.00
9		ओरिया कला ग्राम पंचायत	अमानत	मौजा गुरुआ थाना लेस्लीगंज थाना सं० 386 खाता सं० – प्लॉट सं० 215 रकबा 2.20 एकड़	9069.10	1045046.00	104505.00
10		हरतुआ ग्राम पंचायत	अमानत	मौजा हरतुआ थाना लेस्लीगंज थाना सं० 355 खाता सं० – प्लॉट सं० 01 रकबा 3.00 एकड़	18550.44	2137597.00	213760.00
				मौजा अमवा एवं फुदिया थाना लेस्लीगंज थाना सं० 354 एवं 343 खाता सं० – प्लॉट सं० 01 रकबा 1.00 एकड़	6183.48	712533.00	71253.00
				कुल	**24733.92**	**2850130.00**	**285013.00**
11	**पांकी**	पकड़ीया ग्राम पंचायत		मौजा बांकी खुर्द थाना पांकी थाना सं० 427 खाता सं० 45 प्लॉट सं० 01 रकबा 1.00 एकड़	4046	466226.00	46623.00
				मौजा पकड़ीया थाना पांकी थाना सं० 436 खाता सं० 57 प्लॉट सं० 1011 रकबा 1.00 एकड़	4046	466226.00	46623.00
				कुल	**8092**	**932452.00**	**93246.00**

क्र० सं०	अंचल	ग्राम पंचायत / नगर निगम / नगर पर्षद / नगर पंचायत	नदी	क्षेत्र का विवरण	अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित बालू खनिज का निक्षेप की मात्रा **(घन मीटर में)**	तीन वर्षो (2015 – 16 से 2017 – 18) के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि **(रु० में)**	तीन वर्षो के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत **(रु० में)**
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**पांकी**	सुड़ी ग्राम पंचायत	अमानत	मौजा सरैया थाना पांकी थाना सं० 421 खाता सं० 66 प्लॉट सं० 585 रकबा 2.00 एकड़	8092	932453.00	93245.00
13		ककड़गढ़ ग्राम पंचायत	अमानत	मौजा द्वारिका थाना पांकी थाना सं० 551 खाता सं० 100 प्लॉट सं० 698 रकबा 3.00 एकड़	12138	1398680.00	139868.00
14	**पाटन**	कसवाखाड़ ग्राम पंचायत	जिन्जोई	मौजा रोल थाना पाटन थाना सं० 320 खाता सं० 28 प्लॉट सं० 636 रकबा 3.10 एकड़	12542.60	1445303.00	144530.00
				मौजा बधमरी उर्फ पथलमार थाना पाटन थाना सं० 321 खाता सं० 25 प्लॉट सं० 01 रकबा 1.20 एकड़	48552	5594720.00	559472.00
				कुल	**61094.60**	**7040023.00**	**704002.00**
15		रुदीडीह ग्राम पंचायत	जिन्जोई	मौजा हरैया कला थाना पाटन थाना सं० 311 खाता सं० 23 प्लॉट सं० 01 रकबा 2.00 एकड़	8092	932453.00	932453.00
16		पचकेड़िया ग्राम पंचायत	जिन्जोई	मौजा कोल्हुआ थाना पाटन थाना सं० 312 खाता सं० 44 प्लॉट सं० 924 रकबा 4.00 एकड़	16184	1864907.00	186491.00
17	**नौडीहा बाजार**	डगरा ग्राम पंचायत	हरवे	मौजा अन्ता कला थाना नौडीहा बाजार थाना सं० 415 खाता सं० 33 प्लॉट सं० 200,251 एवं 268 रकबा 3.00 एकड़	12138	1398680.00	139868.00

क्र० सं०	अंचल	ग्राम पंचायत / नगर निगम / नगर पर्षद / नगर पंचायत	नदी	क्षेत्र का विवरण	अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित बालू खनिज का निक्षेप की मात्रा **(घन मीटर में)**	तीन वर्षो (2015 – 16 से 2017 – 18) के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि **(रु० में)**	तीन वर्षो के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत **(रु० में)**
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**छत्तरपुर**	चिरु ग्राम पंचायत	बटाने	मौजा चिरु थाना छत्तरपुर थाना सं० 331 खाता सं० 131 प्लॉट सं० 1816 रकबा 2.00 एकड़	8092	932453.00	93245.00
19		मड़वा ग्राम पंचायत	बटाने	मौजा मड़वा थाना छत्तरपुर थाना सं० 340 खाता सं० 99 प्लॉट सं० 1493 रकबा 2.00 एकड़	8092	932453.00	93245.00
				मौजा मड़वा थाना छत्तरपुर थाना सं० 340 खाता सं० 99 प्लॉट सं० 1458 रकबा 3.00 एकड़	12138	1398680.00	139868.00
				कुल	**20230.00**	**2331133.00**	**233113.00**
20	**मोहम्मदगंज**	मोहम्मदगंज ग्राम पंचायत	कोयल	मौजा मोहम्मदगंज थाना मोहम्मदगंज थाना सं० 535 खाता सं० 253 प्लॉट सं० 1313 रकबा 5.00 एकड़	50000	5761575.00	576158.00
21	**हुसैनाबाद**	परता ग्राम पंचायत	सोन	मौजा कबरा कला थाना हैदरनगर थाना सं० 266 खाता सं० 124 प्लॉट सं० 01 रकबा 10.00 एकड़	40460	4662266.00	466227.00
				मौजा परता थाना हैदरनगर थाना सं० 297 खाता सं० 102 प्लॉट सं० 1003 रकबा 06.00 एकड़	24276	2797360.00	279736.00
				कुल	**64736.00**	**7459626.00**	**745963.00**
22	**तरहसी**	उदयपुरा ग्राम पंचायत	अमानत	मौजा बिनैका थाना तरहसी थाना सं० 535 खाता सं० 38 प्लॉट सं० 749 रकबा 01.00 एकड़	4046	466226.00	46623.00

क्र० सं०	अंचल	ग्राम पंचायत / नगर निगम / नगर पर्षद / नगर पंचायत	नदी	क्षेत्र का विवरण	अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित बालू खनिज का निक्षेप की मात्रा (घन मीटर में)	तीन वर्षो (2015 – 16 से 2017 – 18) के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि (रु० में)	तीन वर्षो के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
23	हरिहरगंज	सरसोत ग्राम पंचायत	बटाने	मौजा बलरा थाना हरिहरगंज थाना सं० 161 खाता सं० 14 प्लॉट सं० 26 रकबा 4.00 एकड़	16184	1864907.00	186491.00
				मौजा लोदिया थाना हरिहरगंज थाना सं० 162 खाता सं० 17 प्लॉट सं० 01 रकबा 5.00 एकड़	20230	2331133.00	233113.00
				मौजा लुकुआ थाना हरिहरगंज थाना सं० 163 खाता सं० 16 प्लॉट सं० 43 रकबा 3.00 एकड़	12138	1398680.00	139868.00
				कुल	**48552**	**5594720.00**	**559472.00**
24		अररुआ खुर्द ग्राम पंचायत	बटाने	मौजा अररुआकला थाना हरिहरगंज थाना सं० 125 खाता सं० 30 प्लॉट सं० 468 रकबा 4.00 एकड़	16184	1864907.00	186491.00
				मौजा विशुनपुर थाना हरिहरगंज थाना सं० 113 खाता सं० 17 प्लॉट सं० 233 रकबा 2.00 एकड़	8092	932453.00	93245.00
				कुल	**24276**	**2797360.00**	**279736.00**
25		कटैया ग्राम पंचायत	बटाने	मौजा कजरु खुर्द थाना हरिहरगंज थाना सं० 95 खाता सं० 19 प्लॉट सं० 01 रकबा 2.00 एकड़	8092	932453.00	93245.00
				मौजा धाधरा थाना हरिहरगंज थाना सं० 112 खाता सं० 02 प्लॉट सं० 1एवं 2 रकबा 3.00 एकड़	12138	1398680.00	139868.00
				कुल	**20230.00**	**2331133.00**	**233113.00**

क्र० सं०	अंचल	ग्राम पंचायत / नगर निगम / नगर पर्षद / नगर पंचायत	नदी	क्षेत्र का विवरण	अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित बालू खनिज का निक्षेप की मात्रा **(घन मीटर में)**	तीन वर्षो (2015 – 16 से 2017 – 18) के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि **(रु० में)**	तीन वर्षो के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत **(रु० में)**
1	2	3	4	5	6	7	8
26	**हरिहरगंज**	डेमा ग्राम पंचायत	बटाने	मौजा डेमा थाना हरिहरगंज थाना सं० 123 खाता सं० 73 प्लॉट सं० 1248 रकबा 3.00 एकड़	12138	1398680.00	139868.00
				मौजा अम्बा थाना हरिहरगंज थाना सं० 124 खाता सं० 50 प्लॉट सं० 480 रकबा 2.00 एकड़	8092	932453.00	93246.00
				मौजा तुरी थाना हरिहरगंज थाना सं० 126 खाता सं० 01 प्लॉट सं० 100 रकबा 2.00 एकड़	8092	932453.00	93246.00
				कुल	**28322.00**	**3263586.00**	**326360.00**
27		हरिहरगंज पूर्व ग्राम पंचायत	बटाने	मौजा सतगांवा उर्फ हरिहरगंज थाना हरिहरगंज थाना सं० 122 खाता सं० 252 प्लॉट सं० 1317 रकबा 3.00 एकड़	12138	1398680.00	139868.00

<u>शर्त्त एवं बंधेज</u> :–

1. निलामी के उपरान्त उच्चतम डाकवक्ता झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के मॉडल प्रपत्र – सी० (संशोधित) के तहत एकरारनामा का निष्पादन एवं निबंधन किया जाएगा।
2. निलामी वक्ता द्वारा बकाया नहीं रहने के संबंध में स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र या उस आशय का शपथ पत्र दाखिल करना होगा।
3. बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति/संस्था को सुरक्षित जमा राशि की 10 प्रतिशत राशि बालूघाट क्षेत्र के लिए निर्धारित प्रतिभूति रकम के रुप में भाग लेने के लिए निलामी की तिथि से दो दिन पूर्व जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/सहायक खनन पदाधिकारी, पलामू के पदनाम से रेखांकित बैक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा अन्यथा वयक्ति/संस्था डाक में भाग लेने से वंचित कर दिये जाएगें। सफल डाकवक्ता (अधिकतम राशि) की प्रतिभूति रकम को छोड़कर अन्य डाक वक्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि का बैक ड्राफ्ट नियमानुसार वापस कर दिया जाएगा।

4. उच्चतम डाकवक्ता को बिक्री–कर के लिए निबंधन कराकर बन्दोबस्ती के तीन माह के अन्दर बिक्री कर का निबंधन संख्या कार्यालय में दाखिल करना होगा अन्यथा बिना कारण बताये बन्दोबस्ती निरस्त कर दी जाएगी। तथा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. निलामी के समय निर्धारित सुरक्षित राशि के उपर की बोली गई डाक की राशि का 10 प्रतिशत डाक समाप्ति या उपायुक्त, पलामू/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निदेश दिये जाने पर तुरन्त नगद/ बैक ड्राफ्ट से जमा करना होगा अन्यथा आगे डाक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।
6. बालूघाटों की बन्दोबस्ती के पश्चात बालू का प्रेषण करने में किसी प्रकार का अड़चन यथा पहुँच पथ वगैरह के कारण या किसी अन्य कारण वश निलामीधारी, निलामी किये गये बालूघाट से प्रेषण नहीं कर पाते है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं होगी तथा भुगतान की गई राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा/कटौती मान्य नहीं होगा।
7. बालू निष्कासन के क्रम में यदि रैयती भूमि का उपयोग किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान निलामीधारी द्वारा किया जाएगा।
8. रैयतों के अनुमति के बिना रैयती भूमि में बालू से संबंधित कोई कार्य करना, उत्खनन अथवा प्रेषण का कार्य नहीं किया जाएगा। बन्दोबस्तधारी/बन्दोबस्तधारीगण इन नियमों के अर्न्तगत प्रतिनियुक्त समाहर्त्ता/ उपायुक्त द्वारा निर्दिष्ट अथवा निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान रैयतों को करेंगें।
9. बन्दोबस्तधारी/बन्दोबस्तधारीगण को क्षतिपूर्ति अथवा परिवहन में होने वाली किसी बाधा के कारण खनिजों की अनुपलब्धता के कारण नुकसान के लिए राज्य सरकार के उपर कोई दावा नहीं कर सकेंगें।
10. पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात पर्यावरण की सुरक्षा हेतु उपाय करना होगा एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/मापदंडों का अनुपालन आवश्यक रुप से करना होगा।
11. पुल के दोनों तरफ निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र की दूरी यथा 500 मीटर दूरी को छोड़कर ही बालू का उठाव करना होगा।
12. सिंचाई हेतु नदी में स्थापित किये गये कूप एवं पंपिंग सेट के आस–पास सुरक्षित क्षेत्र के बाहर बालू का उठाव करना होगा।
13. जन कार्य, यथा छठ–घाट, श्मशान घाट, अन्य धार्मिक स्थल नदी में निर्मित बराजए डैम, पुल, सिंचाई अथवा पेय जल हेतु निर्मित इनटेक कुँआ (Intake well, झालको आदि) से चारों दिशा से 50 मीटर की दूरी से छोड़कर बालू का उठाव करना होगा।
14. घाट से बालू उठाव के लिये अगर स्थानीय मजदूर उपलब्ध रहेंगें तो बन्दोबस्त बालूघाट से बालू का उठाव एवं लदाई मशीन द्वारा नहीं किया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके एवं उनका पलायन नहीं हो, परन्तु जाँच से आश्वस्त होने पर अगर मजदूरों की उपलब्धता में कमी होगी तो वहीं मशीन का प्रयोग इस हद तक ही किया जा सकेगा कि उस क्षेत्र के मजदूर बेरोजगार नहीं है एवं नदी के जल स्तर के नीचे जाने का कुप्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा।
15. अन्य शर्त्त एवं बंधेज झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (सभी संशोधनों सहित) झारखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली, 2007 एवं झारखण्ड खनिज परिवहन पारगमन चालान विनियमन, 2005 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

16. निलामीधारी को झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) नियमों के अनुसार बालू का उत्पादन एवं प्रेषण से संबंधित मासिक विवरणी बन्दोबस्तीधारी द्वारा जिला खनन कार्यालय में प्रत्येक अनुवर्ती माह के 15 तारीख तक दाखिल करना होगा तथा बालू का प्रेषण खनिज परिवहन चालान e-Challan के माध्यम से करना होगा।
17. बन्दोबस्तधारी को सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
18. सक्षम पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त विचार करते हुए जनहित में किसी भी खनिज का मूल्य निर्धारण कर सकते है।
19. बालू की बिक्री उपायुक्त के द्वारा निर्धारित दर से करना होगा। समय–समय पर उपायुक्त द्वारा संशोधित दर से बालू की बिक्री की जा सकेगी। किसी भी हालत में उपायुक्त के द्वारा निर्धारित बालू के मूल्य से अधिक मूल्य पर बालू की बिक्री नहीं की जाएगी।
20. बालूघाटों से संबंधित समय–समय पर विभागीय स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
21. Approved Mining Plan एवं E.C के Terms & Conditions के अनुसार ही बालू का उत्खनन एवं प्रेषण बन्दोबस्तीधारी द्वारा किया जा सकेगा। किसी भी हालत में आवंटित रकबा के बाहर बालू का उत्खनन एवं प्रेषण बन्दोबस्तीधारी द्वारा नहीं किया जा सकेगा।
22. निलामी की अवधि की समाप्ति के उपरांत छः माह के अन्दर प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी।
23. बन्दोबस्तधारी/ बन्दोबस्तधारीगण की बोली राशि यदि 25000.00 (पच्चीस हजार) रु० से अधिक नहीं तो अनुबंध पूर्ण होने के पूर्व इस राशि को पूर्ण रुप से भुगतान किया जायेगा एवं बन्दोबस्तधारी/ बन्दोबस्तधारीगण की बोली राशि यदि 25000.00 (पच्चीस हजार) रु० से अधिक नहीं तो अनुबंध पूर्ण होने के पूर्व इस राशि को पूर्ण रुप से भुगतान किया जायेगा।

    (क) डाक की राशि का 10 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रुप में डाक की समाप्ति के तुरंत बाद जिला/सहायक खनन पदाधिकारी के पदनाम से डिमांड ड्राफ्ट जिला खनन कार्यालय में जमा करना होगा।

    (ख) डाक की राशि 40 प्रतिशत निलामी समाप्ति के 10 दिनों के अंदर जमा करना होगा। राशि का भुगतान निम्न प्रकार करना होगा।

    (i) 40 प्रतिशत राशि का 20 प्रतिशत राशि जिला/सहायक खनन पदाधिकारी के पदनाम से डिमांड ड्राफ्ट जिला खनन कार्यालय में जमा करना होगा।

    (ii) 40 प्रतिशत राशि का 80 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र/जिला परिषद/नगर पंचायत/ नगर निगम के पदाधिकारी के पदनाम से डिमांड ड्राफ्ट जिला खनन कार्यालय में जमा करना होगा।

    (ग) डाक की राशि का 30 प्रतिशत राशि का भुगतान आगामी वित्तिय वर्ष के 28 फरवरी तक जमा करना होगा। राशि का भुगतान निम्न प्रकार करना होगा।

    (i) 30 प्रतिशत राशि का 20 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट जिला/सहायक खनन पदाधिकारी के पदनाम से बनवा कर जिला खनन कार्यालय में जमा करना होगा।

    (ii) 30 प्रतिशत राशि का 80 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट संबंधित ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र/जिला परिषद/ नगर पंचायत/ नगर निगम के पदाधिकारी के पदनाम से बनवा कर जिला खनन कार्यालय में जमा करना होगा।

(घ) शेष 30 प्रतिशत राशि का भुगतान दूसरे वर्ष के समाप्ति के उपरान्त आगामी वित्तिय वर्ष के 28 फरवरी तक जमा करना होगा।

(i) 30 प्रतिशत राशि का 20 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट जिला/सहायक खनन पदाधिकारी के पदनाम से बनवा कर जिला खनन कार्यालय में जमा करना होगा।

(ii) 30 प्रतिशत राशि का 80 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट संबंधित ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र/जिला परिषद/ नगर पंचायत/ नगर निगम के पदाधिकारी के पदनाम से बनवा कर जिला खनन कार्यालय में जमा करना होगा।

24. किसी भी किस्त को जमा नहीं किये जाने या शर्त्तो का उल्लंघन करने पर बिना कोई पूर्व सूचना के निलामी रद्द कर दी जाएगी।
25. किस्तों की राशि का भुगतान करने में असफल रहने अथवा किसी उपबंधों के उल्लंघन होने की स्थिति में बिना कोई नोटिस दिये हुए नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा एवं जैसा भी मामला हो बन्दोबस्तीधारीगण द्वारा जमा की गई सुरक्षित जमा राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रुप से प्राप्त कर लिया जाएगा।
26. नीलाम किये गये बालूघाट क्षेत्र के कार्य का निरीक्षण करने की अनुमति बन्दोबस्तीधारी/ बन्दोबस्तीधारीगण देंगें।
27. किसी प्रकार का दुर्घटना होने पर उसकी सूचना बन्दोबस्तीधारी/बन्दोबस्तीधारीगण देंगें।
28. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (संशोधित नियमावली, 2014) के प्रावधानों के अर्न्तगत विहित प्रपत्र में उत्पादन एवं प्रेषण के संबंध में अभिलेख एवं लेखा संधारित करेंगे।
29. ट्रक, ट्रेक्टर, नाव तथा अन्य यातायात के साधनों से खनिज के वाहनों को झारखण्ड खनिज लघु समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अर्न्तगत OnLine परिवहन चालान निर्गत करेंगें।
30. उपायुक्त द्वारा लगाये गये अन्य अतिरिक्त राशि जमा करना होगा।
31. यदि बन्दोबस्तीधारी/बन्दोबस्तीधारीगण अन्यत्र बालू का भण्डारण करते है तो खनिज विक्रेता नियमावली, 2007 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगें।
32. सक्षम पदाधिकारी को नीलामी की अवधि के समापन के पश्चात, नीलामी क्षेत्र का कब्जा सौंप देंगें ऐसा करने में असफल रहने पर कब्जा वाली अधिक अवधि के लिए यथानुपात आधार पर बोली राशि की दुगुनी राशि के बराबर की राशि दण्ड स्वरुप वसुली जाएगी।
33. बालूघाट के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बन्दोबस्ती आदेश रद्द कर दी जाएगी।
34. Minimum Wages Act & Labour Law के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
35. नीलामी के समय जैसा भी मामला हो बन्दोबस्तीधारी/बन्दोबस्तीधारीगण द्वारा जमा किए गए सुरक्षित जमा की वापसी उपायुक्त/जिला/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा बन्दोबस्ती अवधि समाप्त होने के 06 (छः) माह के भीतर, जो नीलामी में उल्लेखित शर्त्तो के अनुरुप और अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है, उसे जैसा भी मामला हो, बन्दोबस्तीधारी/बन्दोबस्तीधारीगण को वापस करेंगें तथा इस पर कोई सुद देय नहीं होगा।

36. बन्दोबस्तीधारी/बन्दोबस्तीधारीगण के उपर सभी केन्द्रीय तथा राज्य कानून लागू होंगें। इन कानूनों को अन्य मामले में बन्दोबस्तीधारी/बन्दोबस्तीधारीगण कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधा को प्रभावित करने वाले मामलों अथवा जनहित में भी लागू किया जा सकता है। किसी खान में गैर कानूनी कार्य अथवा अनियमित कार्य होने पर राज्य सरकार अथवा सक्षम पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने के बाद जैसा भी मामला है बन्दोबस्तीधारी/बन्दोबस्तीधारीगण द्वारा किसी गैर कानूनी अथवा अवैध कार्य से राज्य सरकार को होनेवाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगें।

37. उपर्युक्त शर्त्तो के अनुपालन नहीं करने पर बन्दोबस्ती के साथ–साथ जमा राशि तथा प्रतिभूति की राशि जब्त करते हुए पुनः बन्दोबस्ती के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ह०/–

जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर।

ह०/–

उपायुक्त, पलामू।